राजस्थान राज्य
मानव अधिकार आयोग
त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-4 अंक : बारहवां वर्ष : 2009 वि.सं. : 2065-2066 बिक्री के लिये नहीं

''अधिकारों के प्रति जागरूक रहो–कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो''

अध्यक्ष–जस्टिस एन.के. जैन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा–निर्देश

(जनवरी–मार्च, 2009)

परिवाद संख्या– 08/17/1071 में पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (यातायात) से आमजन व सभी का सहयोग लेकर सडक सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम कर जनता को राहत पहुंचाने की अपेक्षा की गई।

परिवाद संख्या– 06/17/04 में आवासीय कॉलोनी में कारखाने द्वारा फैलाये जा रहे ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर जयपुर को नियमानुसार कार्यवाही के आदेश दिए गये।

परिवाद संख्या– 08/17/3288 में आयुक्त, नगर निगम को रैन बसेरा का माकूल इंतजाम करने के आदेश दिए गये।

परिवाद संख्या– 08/17/3282 में परिवादी के स्वयं के अपराधी प्रवृत्ति का होने और एक राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध रखने के मामले में राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों को अवलोकनार्थ सूचित किया गया।

परिवाद संख्या– 8/17/2510 में राज्य सरकार से अपेक्षा की गई कि विमन्दित, अनाथ और अनाश्रित लोगों की देखभाल व पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करेंगे।

परिवाद संख्या– 08/17/2815 में एनटीटी छात्राओं के साथ हुई मारपीट से सम्बन्धित अधिकारीगण से अपेक्षा की गई कि वे आयांदा अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऐसी परिस्थितियों का संयम और विवेक से निपटारा करें।

परिवाद संख्या– 08/17/418 में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह को खुला जेल में सिस्टेमेटिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए गये।

परिवाद संख्या– 09/17/102 में जिला कलेक्टर को आवासीय क्षेत्र में फैक्ट्री से हो रहे ध्वनि प्रदूषण व पर्यावरण प्रदूषण की वस्तुस्थिति देखकर कानून सम्मत कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या–09/17/193 में रैगिंग के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही व प्रिंसिपल/पेरेन्ट्स/ विद्यार्थियों में आपसी समन्वय बनाये रखने हेतु माहेश्वरी पब्लिक स्कूल को न्यायोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गये।

परिवाद संख्या– 08/17/2356 में जयपुर दन्त चिकित्सालय कर्मचारी यूनियन की शिकायत पर आयोग के निर्देशानुसार कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त ने महाराज विनायक डेन्टल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के विरूद्व कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा– 7 ए के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर आयोग को सूचित किया।

परिवाद संख्या– 08/17/3015 में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर ने सम्बन्धित पुलिसकर्मी ओमप्रकाश ए.एस. आई. व कांस्टेबल– शकील, शंकर सिंह एवं महिला कानि0

रोशनी को 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित कर आयोग को सूचित किया गया।

परिवाद संख्या– 8/26/1422 में आयोग के निर्देशानुसार परिवादी को निलम्बनकाल का बकाया भुगतान किया जाकर सूचित किया।

परिवाद संख्या– 08/08/1789 में आयोग के निर्देशानुसार प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने परिवादी को मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाकर सूचित किया।

परिवाद संख्या– 05/21/1698 में परिवादी द्वारा छद्म रूप से अपने आपको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बताने पर उसके विरूद्व धारा– 419, 500 भा0दं0सं0 में चालान पेश कर आयोग को सूचित किया।

परिवाद संख्या–7/16/8104 में आयोग के आदेश पर वारिसान को कुल राशि 41,671 रुपये का भुगतानकर सूचित किया।

<u>आयोग द्वारा किए गये निरीक्षण</u> :–

आयोग सचिव ने दिनांक 30 जनवरी को केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर व 31.1.2009 को पुलिस थाना–हिरणमगरी व केन्द्रीय कारागार, उदयपुर का व उपसचिव द्वारा दिनांक 14 जनवरी को पुलिस थाना राजगढ व दिनांक 14 फरवरी को अलवर स्थित स्कूलों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता व आर्टिकल–51ए में निहित कर्तव्यों पर चर्चा की तथा दिनांक 18 मार्च को सांगानेर स्थित खुली जेल में निरीक्षण किया।

विभिन्न शैक्षेणिक संस्थाओं/ एन.जी.ओ. द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा शिरकत करने के साथ–साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बाबत् चर्चा की गई, जिनमें से कुछ निम्नांकित है :–

1. ***पोजिटिव वूमेन नेटवर्क*** की कार्डिनेटर मैडम अनु एवं अन्य 10 प्रतिनिधियों के साथ चैम्बर्स में आयोजित मीटिंग में।

2. ***'विशाखा'*** संस्था की मैडम राखी, मंजू व 24 जिला प्रतिनिधियों के साथ चैम्बर्स में आयोजित मीटिंग में।

3. ***The Jaipur Theosophical Lodge*** द्वारा परमानन्द हॉल में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में सर्वश्री राधेश्याम धूत, ताराचन्द बख्शी, महावीर प्रसाद पारीक प्रचार मंत्री व अन्य डेलिगेट्स व वरिष्ठ नागरिक बन्धुओं के साथ।

4. दिनांक 6 जनवरी 2009 को ***अनुराग संगीत संस्थान जयपुर*** में दृष्टिबाधितों की 18वीं अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में संस्था के अध्यक्ष श्री काला, सचिव अजीत जैन, विभिन्न संस्थानों के समाज सेवी श्री आर.के. गोयल–, श्रीमती रूकमणी जैन, कमलश्री पाण्डाय, मोहिनी देवी रांवका, अंजना जैन, स्वयं प्रभा गद्यईंया, शंकरलाल कुमावत– अध्यक्ष शंकर सीरीज, व विभिन्न राज्यों से आये प्रतियोगियों के साथ।

5. दिनांक 9जनवरी 2009 को ***अनुराग संगीत संस्थान, जयपुर*** में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय दृष्टिहीन संगीत प्रतियोगिता 2009 के पारितोषिक वितरण समारोह में श्री गुलाबचन्द कोठारी– प्रबन्ध निदेशक राजस्थान पत्रिका, संस्था के अध्यक्ष राजकुमार काला, सचिव डा0 अजीत, श्री राजाराम मील–अध्यक्ष राज0 जाट महासभा, डा0 पुष्पा जैन– अध्यक्ष चेष्टा ग्रुप के साथ।

6. दिनांक 26 जनवरी 2009 को गणतंत्र दिवस पर ***विद्यास्थली लॉ कॉलेज*** में आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के संस्थापक डा0 बी0एल0 वर्मा–भूतपूर्व वाईस चांसलर, सचिव, एस0डी0शर्मा एडवोकेट, प्रिंसिपल, अन्य प्राचार्य, छात्र–छात्राओं, अभिभाषकगण आदि के साथ।

7. दिनांक 28 जनवरी 2009 को *Indian Institute of Public Administration, New Delhi, Management Development Academy, HCM Rajasthan State Institute of Public Administration, and Rajasthan Regional Branch of IIPA* द्वारा आयोजित "Training of Trainers in Human Rights" कार्यक्रम में कोर्डिनेटर प्रो0 रमेश के. अरोडा, जस्टिस पानाचन्द जैन, प्रो0 जयतिलक गुहा राय, श्री सुदर्शन कुमार जैन– एन.एच.आर.सी0, व अन्य राज्यों से आये डेलिगेट्स के साथ।

8. दिनांक 28 जनवरी को 2009 को ***WORLD*** (Wing of research in local development) द्वारा आयोजित World Animal Welfare Fortnight 2009 तथा पशु कल्याण पोस्टर के विमोचन के दौरान में संस्था के निदेशक मनीष सक्सेना डा0 एस0के0नागियान, डा0 रवीन्द्र मलिक, श्री स्वरूप मेहता, चीफ–फोरेस्ट ऑफिसर, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थीगण, एन0सी0सी0 केडेट्स के साथ।

9. दिनांक 18 फरवरी 2009 को ***WORLD*** (Wing of research in local development) द्वारा आयोजित Challenge of Environmental Law and Compliance में सर्वश्री आर0पी0 माथुर (जलबोर्ड), स्वरूप मेहता–जनरल मैनेजर हालिडे इन, चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट,, एस.के. श्रीवास्तव, प्रो0 टी0आई0खान, देवेन्द्र भारद्वाज, मैडम नम्रता छात्र–छात्राओं,एन0सी0सी0केडेट्स व अन्य डेलिगेट्स के साथ।

10. दिनांक 29 जनवरी 2009 को *Centre for Women's Studies & UCG Centre for Study of Social exclusion and inclusive policy- University of Rajasthan, Jaipur* द्वारा आयोजित National Seminar on Power & Exclusion : Women in Indian Democracy में प्रो0 कान्ता आहूजा– भूतपूर्व कुलपति, प्रो0 भवानी सिंह, प्रो0 एस0एन0 कौशिक, प्रो0 आशा कौशिक, प्रो0 पी.एस. वर्मा, प्रो0 यशवन्त व्यास, अन्य डेलिगेट्स, छात्र–छात्राओं के साथ।

11. दिनांक 7 फरवरी 2009 को *ज्ञान ज्योति चिल्ड्रन एकेडेमी* के वार्षिकोत्सव पर स्कूल डायरेक्टर आर0डी0 शर्मा, प्रिंसिपल शीतल सरकार, एडेड स्कूल सोसायटी के श्री दामोदर गोयल, अंसल ग्रुप के श्री शाही, स्कूल के शिक्षकगण, अभिभावकगण, छात्र–छात्राओं के साथ।

12. दिनांक 13 फरवरी 2009 को ***महर्षि दयानन्द लॉ कॉलेज*** में आयोजित मूट कोर्ट में जस्टिस एन0 एल0 टिबरेवाल, जस्टिस पानाचन्द जैन, प्रशासनिक अधिकारी चक्रकीर्ती सामवेदी, घनश्याम धर, प्रोफेसर्स व अन्य शिक्षकगण, अधिवक्तागण, छात्र–छात्राओं के साथ।

13. दिनांक 6 मार्च 2009 को *Faculty of Law, Jai Narain Vyas University & Mahila Vidhi Mahavidhyalaya, Jodhpur* द्वारा आयोजित *UGC National Seminar on "Law and Elimination of Discrimination against women"* में पूर्व वाइस चांसलर–डा0 एम0एल0 माथुर, प्रो0 डी0एन. जौहर– भूतपूर्व हैड, विधि विभाग, प्रो0 एम0 के0 भण्डारी, प्रो0 ओ0पी.एन0 कल्ला– महिला महाविद्यालय, प्रो0 आर0 एन0 शर्मा, डा0 मनोज व्यास– प्रिंसिपल, डा0 एम0के0 व्यास, संस्थापक श्री व्यास व अन्य गणमान्य अतिथिगण व छात्र–छात्राओं के साथ।

14. दिनांक 15 मार्च 2009 को ***मानवाधिकार विभाग, राज0 प्र0 कां0 कमेटी*** के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में माननीय मंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा, विधायक श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, तथा विभाग के अध्यक्ष जस्टिस आई0एस0इसरानी, महामंत्री विजयपाल, ए0आई0सी0सी0 के राष्ट्रीय सचिव श्री रणजी थॉमस, डा0 एस0के0 शर्मा व अन्य प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ।

15. दिनांक 20.3.2009 को इंटरनेशनल वैंचर ग्रुप की 5वीं वार्षिक जयंति में डॉ. उजला अरोड़ा, आर.डी. बाहेती, डॉ. ताराचन्द, नरेन बक्शी (सी.ई.ओ.) नरेन्द्र कौशिक, कैलाश छाबड़ा, आशोक बाड़दार व अन्य गणमान्य महानुभावों के साथ।

16. दिनांक 21.3.2009 को *Social Science Research Centre,University of Rajasthan & Janodaya Sansthan, Academi of Political Technology, Jaipur* द्वारा 'दलित, भारत एवं वैश्वीकरण' विषय पर आयोजित सेमिनार में न्यायमूर्ति पानाचन्द जैन, न्यायमूर्ति आई0एस0इसरानी, समाज विज्ञान शोध केन्द्र के निदेशक– प्रो. बी.एम. शर्मा, प्रो. एस.एल.वर्मा–अध्यक्ष जनोदय संस्थान व डा. राममूर्ति मीणा– सचिव, रिसोर्स पर्सन्स, डेलिगेट्स व छात्र–छात्राओं के साथ।

17. दिनांक 25 मार्च 2009 को टैगोर इन्टरनेशनल स्कूल, मानसरोवर द्वारा आयोजित मोन्टेसरी–III की ग्रेजुएशन सेरेमनी में संस्था के निदेशक श्री पी0डी0 सिंह, प्रिंसिपल मैडम कमल राठौड, श्री शर्मा, श्री नैयर, अभिभावकगण व छात्र–छात्राओं के साथ।

18. दिनांक 25 मार्च 2009 को प्रयास संस्था व आर.पी.एफ. द्वारा आयोजित जन–जागरूक प्रोग्राम में डॉ. नाथावत, डी. आई.जी. आर.पी.एफ. डॉ. शर्मा, एन0जी0ओ0 व आर.पी.एफ. के सदस्यगण *(J.J.Act)* के तहत् बालकों व किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति व पुलिस की भूमिका पर चर्चा।

19. दिनांक 30 मार्च, 2009 जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, लाडनू में "Mitigation of violance against women" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में वॉयस चांसलर डॉ. समणी मंगल प्रज्ञा, प्रो. जे.एन. शर्मा (चैयरमेन, गांधी भवन), प्रो. दुगड़, रजिस्ट्रार जी.एस. श्रीवास्तव व कोर्डिनेटर आशुतोष प्रधान, रिसोर्स परसन्स, डेलीगेट्स, गणमान्य व्यक्तियों व छात्र–छात्राओं के साथ।

मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषय सामग्री का जनहित में प्रकाशन

श्री ओमप्रकाश प्रधान–एडवोकेट, कुचामनसिटी/नांवा ने आयोग द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों का व आयोग ने 9 बुकलेट्स व आयोग के दिशा–'निर्देशों को विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम के तहत् पुनः प्रकाशित करवाया।

संविधान के आर्टिकल– 51–ए में निहित कर्तव्यों की जागरूकता कार्यक्रम

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ–साथ आमजन में कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय *संविधान के आर्टिकल–51ए* की मंशा के अनुरूप संकल्प के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत् विभिन्न स्कूलों व संस्थाओं द्वारा सुबह की प्रार्थना के समय संकल्प दोहराया जा रहा है। अन्य कई स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा अपने कार्यक्रमों के साथ *आर्टिकल– 51ए* के संकल्प का प्रचार–प्रसार किया जा रहा हैं। पूर्व में करीब 100 शिक्षण व अन्य संस्थाओं ने संकल्प को दोहराने की जानकारी आयोग को दी, जो प्रशंसनीय है। इसके अलावा इस त्रैमास में भी विभिन्न संस्थाओं व महानुभावों ने उनके सौजन्य से आर्टिकल–51ए का प्रारूप को अपनी पत्रिकाओं में, हेल्पएज इण्डिया ने अपनी गाडी में दवाई वितरण करते समय पोस्टर व कलैण्डर के रूप में छपवा कर स्कूलों व सम्बन्धित लोगों में वितरित करने की जानकारी आयोग को दी। कुछ निम्न है :–

1. *लोकशिक्षक* पत्रिका में प्रकाशन
2. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर द्वारा प्रकाशित *'मृत्युंजय'* में प्रकाशन
3. राजस्थान पेंशनर्स समाज द्वारा पेंशनर्स पत्रिका में प्रकाशन
4. प्रेसिडेन्ट लायन्स क्लब *(District 323 E--1 Club No. 026309)* व जैना प्रिंटर्स, जयपुर
5. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर
6. भारतवर्षीय दिगम्बन जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी मुम्बई, राजस्थान अंचल
7. विद्यास्थली ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्युशन्स, जयपुर
8. रेडिमेड सेन्टर, जौहरी बाजार, जयपुर
9. Cosmic Yoga Combine, Kanti Nagar, Station Road, Jaipur
10. Jaipur Diabities &Research Centre, Near Ridhi-Sidhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
11. विनायक फार्मा, डी–74 घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
12. श्रीमती ललिता देवी, रामचन्द्र कासलीवाल ट्रस्ट, जयपुर
13. जयपुर जिला बैडमिन्टन एसोसियेशन, जयपुर
14. हेल्प एज (इण्डिया), जयपुर
15. राजस्थान पॉलिटेकनिक कॉलेज, रतनगढ (चुरू) व सम्बल सेवा संस्थान, जयपुर।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मुख दिनांक 31.12.2008 को 910 प्रकरण शेष थे। नये परिवाद 746 आये तथा नये व पुराने कुल 614 प्रकरणों का निस्तारण करने के बाद आयोग के सम्मुख दिनांक 31.3.2009 को 1042 प्रकरण शेष रहे।

भारतीय
नववर्ष की शुभ कामनाएँ

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, **सदस्यगण-** जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, **सचिव एन.आर. यादव,** महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर।

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in **Fax :** 0141-2227738 **Tel. :** 2227183

Book Post